

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल— 462004

क्रमांक एफ. 11-37/05/1/9 भोपाल,
प्रति,

दिनांक 10 अक्टूबर, 2005

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः— सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन।

संदर्भः— इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 20.6.2005, दिनांक 19.7.2005, दिनांक 16.8.2005 एवं दिनांक 19.9.2005

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन हेतु निम्न निर्देश दिए गए थे:-

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 के तहत प्रत्येक प्रशासकीय इकाई/कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित किया जाना है।
2. अधिनियम की धारा 4(1) के तहत 17 बिन्दुओं का मेन्युअल तैयार करना।
3. अधिनियम की धारा 19 के प्रावधान अनुसार अपीलीय प्राधिकारियों को नामांकित किया जाना।
4. अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण जानकारी लेने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना।

आशा है आपके द्वारा उक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही पूर्ण कर ली गई होगी। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाए गए नियमों की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी में) तथा जानकारी देने से संबंधित प्रपत्रों (प्रपत्र 1 से 6 तक) की प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है। संक्षेप में धारा 27 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधान निम्नानुसार हैं :—

1. आवेदन पत्र के साथ रु0 10/- का आवेदन शुल्क नगद अथवा नान ज्यूडीशियल स्टाम्प के रूप में लगाना अनिवार्य है (बी0पी0एल0 आवेदक से उक्त शुल्क देय नहीं है)
2. दस्तावेज/अभिलेखों की फोटोप्रति उपलब्ध कराने हेतु वास्तविक लागत जैसा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आकलित की जावे, ली जानी है। जहाँ फोटोकापी का कार्य बाहर से कराया जाता है, वहाँ फोटोकापी कराने हेतु व्यय की गई राशि आवेदक से ली जानी है। जहाँ फोटोकापी हेतु कार्यालय की मशीन का उपयोग किया गया है, वहाँ का प्रति पेज वास्तविक व्यय आवेदक से लिया जाना है (बी0पी0एल0 आवेदक से उक्त शुल्क देय नहीं है)
3. प्रमाणिक नमूना प्रदाय किये जाने हेतु नमूने की वास्तविक लागत जैसा कि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित करे, ली जानी है (बी0पी0एल0 आवेदक से भी प्रमाणिक नमूने की लागत ली जानी है)
4. प्रथम अपील शुल्क रु0 50/- तथा द्वितीय अपील शुल्क रु0 100/- नगद अथवा नान ज्यूडीशियल स्टाम्प के रूप में जमा किया जाना है (बी0पी0एल0 आवेदक से उक्त शुल्क देय नहीं है)

वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 745/आर. 806/2005/चार/ब-1, दिनांक 27.9.2005 द्वारा विषयांकित अधिनियम के अंतर्गत सूचना/सेम्प्ल से प्राप्त राशि राजस्व प्राप्ति के मुख्य शीर्ष 0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-उप शीर्ष-60-अन्य सेवाएँ-लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियाँ (10) के अंतर्गत जमा की जानी है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(भूपाल सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन
विभाग

पृष्ठा 0 एफ. 11-37 / 05 / 1 / 9 भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर, 2005

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव / सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव, मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, भोपाल
10. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
11. महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर / ग्वालियर / जबलपुर
12. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल
13. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
14. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मध्यप्रदेश भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन
विभाग

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक—22 सन् 2005) की 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदृष्टारा, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

नियम अध्याय—1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम, 2005 है।
(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।
- .2. परिभाषायें— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —
 - (क) “अधिनियम” – से अभिप्रेत हैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक –22 सन् 2005)
 - (ख) “गरीबी रेखा के नीचे” से तात्पर्य हैं कि मध्यप्रदेश राज्य के वह नागरिक जिन्हें मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे का होना घोषित किया गया हो :
 - (ग) “लागत” से अभिप्रेत है कि अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (एफ) में यथापरिभाषित सूचना को प्रदान करने के लिये देय लागत :
 - (घ) “फीस” से अभिप्रेत है अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत देय फीस:
 - (ङ) “प्रारूप” से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्रारूप:
 - (च) “धारा” से अभिप्रेत हैं अधिनियम की धारा:
 - (छ) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द जो परिभाषित नहीं किए गए हैं उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित किए गए हैं ।

अध्याय—2

फीस

3. (1) अधिनियम की धारा—4 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिनियम के अधीन सामग्री प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वह व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है दस रूपए के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के साथ या नगद भुगतान कर उसकी रसीद के साथ स्वयं उपस्थित होकर आवेदन राज्य लोक सूचना अधिकारी, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करेगा यदि आवेदन डाक द्वारा प्रेषित किया जाता हैं तो आवेदक दस रूपए के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प संलग्न करेगा।
- (2) राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने पर सूचना की विषय वस्तु की छपाई खर्च या मीडियम या वास्तविक मूल्य जैसा कि उक्त अधिकारी द्वारा नियत किया जाए नगद या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में आवेदक राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास जमा करेगा। आवेदक द्वारा यदि राशि नगद जमा की जाती हैं तो राज्य लोक सूचना अधिकारी या उनके द्वारा निर्देशित अधिकारी द्वारा उसकी रसीद प्रदाय की जाएगी। ऐसी जमा की गई राशि कोषालय में चालान द्वारा जमा की जाएगी।
4. धारा 6 की उपधारा (1) तथा धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने वाला वह व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं हैं, यथा स्थिति संबंधित राज्य सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दस रूपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प या नगद भुगतान कर उसकी रसीद के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा।
5. (1) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत जहाँ सूचना की पहुँच छपे हुए (मुद्रित) या किसी इलेक्ट्रानिक रूप /फार्मेट में उपलब्ध कराई जाना है तो ऐसी सूचना का वास्तविक लागत जैसा की यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए, नगद या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में ऐसे आवेदक द्वारा जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं हैं, ऐसे अधिकारी के समक्ष जिसे लोक प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए, निर्देश देने के तीन दिवस के अंदर जमा करेगा।
- (2) यदि आवेदक किसी दस्तावेज या अभिलेख का निरीक्षक करना चाहता है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी इस प्रयोजन के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारी को नियत करेगा तथा इस प्रयोजन हेतु प्रथम घण्टे अथवा उससे कम समय के लिए ₹0 50/- (रुपये पचास) तथा उसके पश्चात् प्रत्येक 15 मिनट अथवा उससे कम समय के लिए ₹. 25/- (रुपये पच्चीस) के मान से शुल्क नगद या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में आवेदक, जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, भुगतान करेगा।
- (3) यदि आवेदक किसी सामग्री का प्रमाणिक नमूना लेना चाहता है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा उस नमूने की निर्धारित लागत आवेदक ऐसे अधिकारी को, जैसा कि उक्त अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए, नगद या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप से जमा करेगा।
- (4) जहाँ ऐसी सूचना का भण्डारण कम्प्यूटर में किया गया हैं तो ऐसी सूचना के डिस्केट्स या फ्लापी या टेप या वीडियो या केसेट की वास्तविक लागत जैसा कि राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए, आवेदक द्वारा या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा करेगा।

अध्याय—3
वेतन तथा सेवा शर्ते

6. अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (6) के अंतर्गत पदस्थ किए गए अधिकारियों तथा कर्मचारियों को वही वेतन तथा भत्ते देय होंगे जैसा कि वे पदस्थ होने के पूर्व से प्राप्त कर रहे थे तथा उनकी सेवाओं के लिए वही नियम लागू होंगे जो उनको पदस्थ होने के पूर्व लागू थे ।

अध्याय—4
अपील

7. (1) प्रथम अपील— यदि कोई व्यक्ति धारा -7 की उप-धारा (1) अथवा उप-धारा(3) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विनिश्चय प्राप्त नहीं करता हैं या प्राप्त नहीं होता है अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से व्यक्ति है, वह ऐसी कालावधि के व्यतीत होने के तीस दिवस के भीतर अथवा ऐसे विनिश्चय के प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर ऐसे अधिकारी को जो राज्य लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ हो को अपील, अपील के ज्ञापन के साथ 50/- (पचास रुपए) के शुल्क या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के साथ प्रस्तुत कर सकेगा ।

परंतु यह कि ऐसा अपीलीय अधिकारी तीस दिवस की कालावधि के पश्चात् भी अपील सुनवाई के लिए ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से अपील समयावधि में प्रस्तुत करने में विफल रहा है ।

- (2) अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता, सूचना के आधार की विषय वस्तु, सक्षम अधिकारी का नाम तथा पदनाम के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना देने अथवा फीस का भुगतान करने के आदेशों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा ।
- (3) उपनियम (1) के अंतर्गत अपील प्राप्त किए जाने से तीस दिवस के भीतर या ऐसे विस्तारित कालावधि के भीतर जो अपील फाइल करने की तारीख से कुल मिलाकर पैंतीलास दिवस से अधिक नहीं हो यथास्थिति लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए निपटाई जाएगी ।
- (4) अपील में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क अपीलार्थी को प्रदाय की जाएगी ।
- 8 (1) द्वितीय अपील – नियम 7 के उप नियम (3) के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को इस तारीख से नब्बे दिवस के भीतर प्रस्तुत की जा सकेगी जिस तारीख को विनिश्चय पारित हो गया होना चाहिए अथवा उस तारीख से जब विनिश्चय वास्तविक रूप से प्राप्त किया गया है ।
- परंतु यह कि राज्य सूचना आयोग नब्बे दिवस की कालावधि के बीतने के पश्चात् भी अपील सुनवाई के लिए ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से विफल रहा है ।
- (2) राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत अपील के ज्ञापन के साथ रूपये 100/- (रुपए सौ) की फीस नगद या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा करना होगा ।
- (3) राज्य सूचना आयोग द्वारा यथास्थिति लोक प्राधिकारी अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलार्थी को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अपील प्रस्तुत होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए अपील का निराकरण करेगा ।

- (4) राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।
- (5) राज्य सूचना आयोग के विनिश्चय की प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदाय की जाएगी परंतु यदि अपीलार्थी आदेश की प्रति डाक द्वारा प्राप्त करना चाहता है तो अपीलार्थी से डाक शुल्क प्राप्त कर तीन दिवस के अंदर भेजी जाएगी ।
9. नियम 7 एवं 8 के अंतर्गत देय फीस ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी रेखा से नीचे हैं से प्रभारित नहीं की जायेगी ।

मध्य-प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रपत्र—एक

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (6) (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप)

1. आवेदक का नाम
2. पूरा पता /ई-मेल /फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है
3. दूरभाष क्रमांक
4. आवेदन देने का दिनांक
5. कार्यालय का नाम
6. चाही गई जानकारी का विवरण
7. क्या चाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना
8. आवेदक के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फी –रुपये 10/- नगद/स्टॉम्प (वीपीएल सूची के सदस्य को देय नहीं)
रसीद क्र. एवं दिनांक
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं— हां/नहीं
यदि हां तो वी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक

हस्ताक्षर
(आवेदनकर्ता)

टीप:- यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रुपये 10/- का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प चर्चा करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि का डाक टिकिट लगा लिफाफा संलग्न प्रेषित करें।

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक
 2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक
 3. संबंधित शाखा/ अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी
- (लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
पदनाम (रबर सील)
दिनांक

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आवेदक को उसके द्वारा वांछित नकल/जानकारी/निरीक्षण हेतु निर्धारित शुल्क दिये जाने की सूचना

1. आवेदक का नाम / पता
2. आवेदनकर्ता का संदर्भ
3. विषय/विवरण
4. उपस्थिति दिनांक

विषयांतर्गत सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन में दिनांक के संदर्भ में चाही गई जानकारी हेतु आप निर्धारित शुल्क दिनांक तक जमा कर दस्तावेज/नकल/नमूना दिनांक तक प्राप्त कर लें। यदि दस्तावेज डाक द्वारा चाहते हैं तो उसके लिये रजिस्टर्ड/यूपीसी/डाक व्यय सहित, स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा साथ में संलग्न करें।

2. शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

वांछित जानकारी का प्रकार	पृष्ठ संख्या/नग/मात्रा	दर	राशि (कॉलम 2 गुणा 3)
1	2	3	4
कार्य संबंधी दस्तावेज जैसे नक्शा/प्रशासकीय स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति/अनुबंध/इस्टीमेट/आदेश, टीप इत्यादि की प्राप्ति वित्तीय/लेखा संबंधी दस्तावेज इत्यादि सैम्प्ल अन्य			

सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी
(रबर सील)

टीप:- डाक से आवेदन प्राप्त होने पर प्रपत्र-दो डाक से प्रेषित किया जाएगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
आवेदन पत्र संबंधित विभाग को अंतरित करने संबंधी प्रपत्र

द्वारा-विभाग का नाम/पता

प्रति,

.....
.....
.....

विषय:-

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6) की उपधारा (3) के अंतर्गत श्री
.... से प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक को प्राप्त हुआ परीक्षण उपरांत वस्तुस्थिति आपके
विभाग से संबंधित होने के कारण निर्धारित समयावधि (पांच कार्य दिवस) में आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु
अंतरित किया जा रहा है।

संलग्न - मूल आवेदन

अधिकारी

लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना
(रबर सील)

प्रतिलिपि:-

श्री पिता श्री को सूचित किया जाता है कि आपके
द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक कार्यालय विभाग से संबंधित होने के कारण
दिनांक को कार्यालय/विभाग को अंतरित कर दिया गया है।
अतः कृपया आगामी कार्यवाही हेतु उक्त कार्यालय/विभाग से संपर्क करने
का कष्ट करें।

हस्ताक्षर
लोक सूचना अधिकारी
सहायक सूचना अधिकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

समय-सारणी

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत

1. आवेदन प्राप्ति की दिनांक
2. आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्तकर्ता अधिकारी / कर्मचारी अधिकतम दूसरे कार्य दिवस तक संबंधित शाखा को भेज देगा।
3. संबंधित शाखा प्रभारी ऐसे प्राप्त आवेदन से संबंधित अभिलेख अधिकतम तीन कार्यदिवस में लोक सूचना अधिकारी को अपनी टीप सहित प्रेषित करेगा कि ऐसा अभिलेख धारा 8 के अंतर्गत वर्जित तो नहीं है। शाखा प्रभारी यदि पाता है कि आवेदन उसकी शाखा से संबंधित न होकर या अन्यत्र शाखा या विभाग से संबंधित है तब ऐसी दशा में अधिकतम दूसरे कार्यदिवस तक आवेदन लोक सूचना अधिकारी / सहायक सूचना अधिकारी को भेज देगा।
4. लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी ऐसा अभिलेख प्राप्त होने पर अधिकतम तीन कार्य दिवसों में आवेदक को सूचना / प्रतिलिपि / सेम्प्ल शुल्क अदा करने के लिये निर्धारित प्रारूप में सूचित करेंगे।
5. लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी निर्धारित शुल्क की पूर्ति होने के पश्चात् आवेदन की दिनांक से अधिकतम 30 दिवस की समयावधि में वांछित दस्तावेज / नकल / निरीक्षण / अवलोकन की कार्यवाही कर आवेदक के हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे।

यदि वांछित अभिलेख अन्य कार्यालय / विभाग से संबंधित है तो लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी निर्धारित प्रारूप में मूल आवेदन संबंधित कार्यालय / विभाग को आवेदन की दिनांक से 5 कार्यदिवस में अंतरित कर देंगे। साथ ही आवेदन कर्ता को निर्धारित प्रारूप में अंतरण की सूचना देंगे।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

पंजी का प्रारूप

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत धारित की जाने वाली पंजी का प्रारूप)

सं. क्र.	आवेदक का नाम संस्था / फर्म	आवेदक का संपर्क	आवेदन प्रत्युति का दिनांक	आवेदन प्राप्त होने का माध्यम	विषय	आवेदक द्वारा जमा किया गया शुल्क रसीद क्र. दिनांक	आवेदक को उपस्थित होने के लिये दी गई तिथि / शाखा	शाखा	संबंधित को भेजने का दिनांक शाखा	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर	शाखा के जानकारी प्राप्त होने का दिनांक	आवेदन का निराकरण	रिमार्क	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

प्रपत्र-छ:

शाखा की पंजी का प्रारूप

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत

संक्र	आवेदन पत्र प्राप्त होने का दिनांक	आवेदक का नाम	निराकरण की दिनांक	निराकरण का स्वरूप	प्राप्तकर्ता/ओवदक के हस्ताक्षर एंव दिनांक
1	2	3	4	5	6